राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर, सिरोही

क्रमांक / प.12(3)( )राजस्व / 2017 / 4294-95 दिनांक 11 .12.2020

निमितः–

संयुक्त निदेशक
सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग,
जिला कलक्टर कार्यालय, सिरोही

विषयः– भूमि आवंटन प्रक्रिया को पारदर्शी रखने हेतु जिला कार्यालय में प्राप्त भूमि आवंटन के प्रस्ताव की सूचना जिला कार्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप–3) विभाग, जयपुर के पत्रांक / प.2(98)राज–3 / 2017 दिनांक 22.03.2018 व समसंख्यक पत्र दिनांक 09.04.2018 के अनुसार सरकारी (सिवायचक राजस्व भूमि) जिनके आवंटन हेतु निजी संस्थाओं के लिए आवंटन / आरक्षण के लिये विभिन्न राजस्व नियमों के तहत जो भी प्रार्थना पत्र जिला कार्यालय में प्राप्त होते है, उन प्रार्थना पत्रों को आवंटन प्रक्रिया को पारदर्शी रखने हेतु प्रस्तावित भूमि की सूचना आवंटन के प्रयोजन के साथ जिला कार्यालय की वेबसाईट एवं नोटिस बोर्ड पर सार्वजनिक करते हुए गुणावगुण के आधार पर राज्य सरकार को भूमि आवंटन / आरक्षण के प्रस्ताव भिजवाने के निर्देश दिये गये है। उक्त निर्देश के क्रम में राजस्व (ग्रुप–3) विभाग, जयपुर के पत्रांक / प.4(55)राज–3 / 18 दिनांक 19.02.2020 के द्वारा निर्धारित जारी 29 बिन्दुओं की नवीन चैक लिस्ट अनुसार तहसीलदार, पिण्डवाडा व उपखण्ड अधिकारी, पिण्डवाडा से मौजा भावरी के खसरा नम्बर 2150 / 1312 रकबा 257.04 बीघा किस्म गै.मु.मगरी में से 3.00 बीघा भूमि श्री मारू प्रजापत सेवा समिति (भी.प.) सरूपगंज को छात्रावास भवन हेतु आवंटन करने हेतु प्राप्त प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त चैक लिस्ट जिला सिरोही की वैब साईट पर अपलोड करने हेतु आपको प्रेषित की जा रही है। अतः उक्त चैक लिस्ट को जिले की वैब साईट पर अपलोड कर इस कार्यालय को अवगत करावें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

11/12/2020

(गितेश श्री मालवीय)
अति. जिला कलक्टर, सिरोही

क्रमांक / प.12(3)( )राजस्व / 2017 / दिनांक .12.2020

प्रतिलिपिः–

प्रभारी सम्प्रेषण शाखा, कलक्टर कार्यालय, सिरोही को भेजकर लेख है कि उक्त चैक लिस्ट को सूचना बोर्ड पर चस्पा करावें।

अति. जिला कलक्टर, सिरोही

Distt. Website / Suresh.

14/12

भूमि आवंटन बाबत चैक लिस्ट

1	जिले का नाम	सिरोही
2	आवेदक संस्था का नाम, पता व विवरण	मारू प्रजापत सेवा समिति भीमाणा परगना भावरी तह पिण्डवाड़ा
3	संस्था का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र व अन्य विवरण	33/सिरोही/2012-13 संलग्न
4	संस्था का गत 3 वर्ष का आय-व्यय का विवरण	संलग्न
5	संस्था द्वारा प्रस्तुत की गई परियोजना रिपोर्ट निर्माण लागत एवं आर्थिक संसाधनों का विवरण	संस्था द्वारा सहयोग से करना बताया
6	क्या उक्त संस्था को उक्त क्षेत्र में अनुभव है? उसका विवरण	संस्था रचनात्मक कार्य कर रही है।
7	संस्था को भू-आवंटन का प्रयोजन एवं संबंधित विभाग की अभिशंषा/अभिमत एवं मान्यता	छात्रावास निर्माण
8	संस्था द्वारा नोर्म्स से अधिक भूमि चाहे जाने पर उसका औचित्य	छात्रावास बाबत्
9	क्या संस्था को पूर्व में कभी इस जिले में भूमि आवंटित की गई थी? यदि हां, तो उसका विवरण	नहीं, पटवार मंडल भावरी में पहली बार मांग
10	परियोजना का लाभ समाज के किन वर्गों को मिलेगा? व क्या लाभ मिलेगा?	मारू प्रजापत (प्रजापति) समाज के बालिकाओं के उत्थान में
11	संस्था द्वारा चाही जा रही भूमि का विवरण-राजस्व ग्राम का नाम ख0न0 किस्म, क्षेत्रफल मय जमाबंदी व राजस्व नक्शे के	मौजा भावरी, ख.नं. 2150/3 रकबा 257.04 बीघा में से 3.00 बीघा की मांग
12	संस्था को आवंटन की जाने वाली भूमि की प्रस्तावित दर	2583400 प्रति हैक्टेयर
13	आवेदक द्वारा चाही गई रियायत का विवरण	-
14	प्रस्तावित भूमि की कुल कीमत	1960026
15	चाही गई भूमि की वर्तमान डी.एल.सी. दर	2583400 प्रति हैक्टेयर
16	क्या प्रश्नगत भूमि बाबत वर्तमान में किसी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन है या स्थगन आदेश तो नहीं है?	नहीं
17	भू-उपयोग परिवर्तन होना है? भूमि की श्रेणी (ग्रामीण, नगरीय परिधीय भूमि, राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य राजमार्ग से दूरी)	नहीं
18	क्या भूमि पर पूर्व से निर्माण है?	नहीं
19	यदि भूमि पर अतिक्रमण हो तो उसका विवरण	नहीं
20	क्या भूमि कमाण्ड क्षेत्र मे है?	नान कमाण्ड
21	भूमि आवंटन के प्रस्ताव के साथ संलग्न रिकॉर्ड जमाबंदी-राजस्व नक्शा-तहसीलदार की रिपोर्ट व अन्य आवश्यक रिपोर्ट	संलग्न है
22	क्या प्रस्तावित भूमि चरागाह भूमि है? यदि हां, तो ग्राम पंचायत की राय/अभिशंषा संलग्न है या नहीं ? चारागाह भूमि के क्षतिपूर्ति के प्रस्ताव	नहीं, बिलानाम है N.O.C संलग्न है
23	यदि संबंधित भूमि नगरीय क्षेत्र या पैराफेरी क्षेत्र में है, तो क्या निकाय की एन.ओ.सी. संलग्न है?	नहीं
24	भूमि नगरीय क्षेत्र में होने पर नगर नियोजन विभाग की राय	नहीं
25	यदि मास्टर प्लान बन चुका है, तो क्या भू-उपयोग परिवर्तन मास्टर प्लान के अनुरूप है अथवा भू-उपयोग परिवर्तन की शर्त के साथ भू-आवंटन किया जाना है?	नहीं
26	प्रस्तावित भूमि प्रतिबंधित श्रेणी की तो नहीं है	नहीं
27	किस नियम/परिपत्र के अन्तर्गत आवंटन प्रस्तावित किया गया है?	1963
28	विभिन्न प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि के आवंटन हेतु प्रस्तावित भूमि की सूचना/प्रयोजन जिला कार्यालय की वैब साईट व नोटिस बोर्ड पर सार्वजनिक किये जाने का विवरण	उक्त विवरण जिला कार्यालय से संबंधित है।
29	यदि किसी प्रकरण में आवंटन हेतु प्रस्तावित भूमि की किस्म चारागाह है, तो ऐसी स्थिति मे राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 19.09.2019 की पालना सुनिश्चित कर विवरण अंकित करें	नहीं (बिलानाम) है। New Addendum

उपरोक्त सभी बिन्दुओं के संबंध में तथ्यों का सत्यापन कर तत्संबंधी संतुष्टी कर ली गई एवं तदानुसार उक्त प्रकरण में भू-आवंटन करने की अभिशंषा की जाती है।

24/12/2019
पटवारी (भू० अ०)
(भावरी/पिण्डवाड़ा)

तहसीलदार; पिण्डवाड़ा
जिला-सिरोही (राज०)

हस्ताक्षर
जिला कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी पिण्डवाड़ा